द्वारा ई–मेल।
सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रॉकः टीएस–सीसीटीएनएस–35/2010 दिनांकः फरवरी 23,2013

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
समस्त पुलिस प्रभारी उ0प्र0।

विषयः– **सीसीटीएनएस के सफल कियान्वयन हेतु जनपदीय मिशन टीम के उपयोगार्थ दिशा निर्देश।**

उपरोक्त विषयक निम्न दिशा निर्देश इस आशय से प्रेषित है कि जनपदीय मिशन टीम अपने निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित जनपदीय कोर कमेटी से निर्गत निर्देशों का अनुपालन कडाई से कराना सुनिश्चित करे।

1– उपकरणः–

- एसपीएमयू और सीसीटीएनएस शाखा के अधिकारियों द्वारा कतिपय थानों का भ्रमण किया गया तो अधिकतर कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों डिब्बों में बन्द पाये गये यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।
- प्रत्येक थाना कार्यालय पर 04 कम्प्यूटर सहवर्ती उपकरणों सहित उपलब्ध कराये गये हैं। इन कम्प्यूटरों को 01 प्रभारी थाना, 01 आरक्षी लिपिक एवं 02 विवेचनाधिकारियों के कक्ष में स्थापित करायें।
- क्षेत्राधिकारी स्तर पर 01 कम्प्यूटर अपने स्वयं के कक्ष में 01 कम्प्यूटर मुख्य आरक्षी एवं 01 कम्प्यूटर आरक्षी लिपिक के कक्ष में स्थापित कराया जाय।
- जो डिवाइस (हार्ड डिस्क/ इलेक्ट्रोनिक पेन) प्रयोग में नहीं हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जहॉ सीलन न हो, सीलन होने की दशा में इलैक्ट्रोनिक डिवाइस खराब हो सकती है।

2– स्टाफः–

- 01 उ0नि0 अथवा मुख्य आरक्षी को प्रभारी नियुक्त करते हुए ऐसे 04 आरक्षियों को नियुक्ति किया जाए जिन्होंने रोल बेस्ड प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जिस जनपद में रोल बेस्ड प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी नहीं हैं, उस स्थिति में IT.Basic प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त किया जाए। जिसका विवरण जनपदीय कोर कमेटी अपने स्तर पर रखे।

3– **डाटा डिजिटाइजेशनः–**

- डाटा डिजिटाइजेशन हेतु नियुक्त कर्मियों को निर्देशित करें कि वह डाटा डिजिटाइजेशन की प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक इन्द्राज करायें। जिसका परीक्षण प्रभारी थाना/ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी किया जाय। डाटा में एक अक्षर भी गलत होने पर उस डाटा को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा और पुनः इन्द्राज कराना होगा।

4— कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयरः—

- 02 थानों के मध्य एनआईआईटी द्वारा एक सहायता हेतु तकनीकी सहायक नियुक्त किया गया है। साफ्टवेयर में आ रहीं समस्याओं का निराकरण उनसे कराया जाय। उनसे साफ्टवेयर में इन्द्राज न कराया जाय।
- कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर प्रत्येक कर्मी के द्वारा भविष्य में कार्य किया जाना है। अतः आप अपने अधिनस्थ कर्मियों के उक्त साफटवेयर पर कार्य हेतु प्रोत्साहित करें।
- कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर कार्य करने वाले कर्मियों द्वारा साफ्टवेयर में आ रही समस्याओं का इन्द्राज एक्सल सीट में किया जाय। प्रत्येक सप्ताह समस्याओं का विवरण नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस जनपद स्तर के माध्यम से कम्प्यूटर अधिकारी सीसीटीएनएस / एसपीएमयू को अग्रसारित किया जाएगा।

5— सीसीटीएनएस रजिस्टरः—परिशिष्ट(क)

- इस रजिस्टर का रख—रखाब थाना स्तर पर नियुक्त प्रभारी द्वारा नामित आरक्षी द्वारा किया जाएगा। जिसका निरीक्षण कम्प्यूटर कार्य हेतु नामित प्रभारी स्वयं प्रत्येक दिन सुबह 10.00 बजे करेंगे और समस्याओं का निराकरण कराते हुए कालम संख्या 18 में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- सीसीटीएनएस कम्प्यूटरों का निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह में थानाध्यक्ष / प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी, सीसीटीएनएस की पाक्षिक समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरान्त रजिस्टर के कालम संख्या 18 में अपनी टिप्पणी अंकित करें।
- जनपदीय कोर कमेटी के अध्यक्ष द्वारा जनपद के समस्त थानों का मासिक निरीक्षण किया जाएगा।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद द्वारा भी अधिनस्थ थानों का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया जाए।
- नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस द्वारा नामित अधिकारी / टीम द्वारा किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आने वाली कर्मियों का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व जनपदीय कोर कमेटी / थाना प्रभारी का होगा।

संलग्नः—परिशिष्ट(क)

23/2/13

(अरूण कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक,
कानून—व्यवस्था, अपराध, सीसीटीएनएस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोनल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू, लखनऊ।
4. श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनआईआईटी, लखनऊ।

परिशिष्ट–क

Crime and Criminal Tracking Network and Systems Register

निरीक्षण का दिनांक	सीसीटीएनएस योजना के समस्त उपकरण उपलब्ध / कियाशील हैं।		यदि नही तो कृत कार्यवाही का विवरण	पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध है।		यदि नहीं तो कृत कार्यवाही का विवरण	स्टेट डाटा सेन्टर से कनेक्टिविटी।		यदि नहीं तो कृत कार्यवाही का विवरण	डाटा डिजिटाइजेशन / परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।		यदि नहीं तो कृत कार्यवाही का विवरण	कोर एप्लीकशन साफटवेयर पर कार्य हो रहा है।		यदि नहीं तो कृत कार्यवाही का विवरण	कोर एप्लीकेशन साफटवेयर में कोई समस्या है तो उसका विवरण।	निरीक्षण कर्ता अधिकारी की टिप्पणी।
	हॉ	नहीं		हॉ	नहीं		हॉ	नहीं		हॉ	नहीं		हॉ	नहीं			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18